न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 64/2014

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल जिला–बारां (राज0) (प्रार्थी)

बनाम

1. पुष्पा पत्नि माधो जाति मीना निवासी महुआ तहसील मांगरोल **(मृतक)**
1/1 महावीर पुत्र पुष्पा
1/2 कमल पुत्र पुष्पा जातिगण मीना निवासीगण महुआ तहसील मांगरोल जिला बारां, राज.
1/3 विनिता उर्फ बन्ता पुत्री माधो पत्नि सुरेश कुमार मीना ग्राम अल्लापुर (किशनपुरा) तहसील पीपल्दा जिला कोटा, राज.
1/4 कविता बाई पुत्री माधो मीना पत्नि सुनील कुमार मीना ग्राम विजयपुर तहसील पीपल्दा जिला कोटा, राज.

(अप्रार्थीगण)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)
2. श्री जयेश सक्सेना अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

आदेश दिनांक– 23.09.2024

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में विवादित आराजी ख0नं0 811/1047 रकबा 1.05 है., किस्म माल II ग्राम महुआ तहसील–मांगरोल राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 अप्रार्थीया के गैर खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट अवधि सम्वत् 2014–23 में खसरा नंबर 709 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 710 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा तथा खसरा नंबर 711 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन तलाई दर्ज थी। खसरा नंबर खसरा नंबर 709 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 710 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा तथा खसरा नंबर 711 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन तलाई के नवीन ख0नं0 811/1047 रकबा 1.05 है., किस्म माल II कायम किये जाकर उक्त भूमि अवैधानिक रूप से पुष्पा पत्नि माधो जाति मीणा निवासी महुआ के गैर खातेदारी में दर्ज कर दी है, जो मुताबिक जमाबन्दी संवत 2067–70 अप्रार्थीया के गैर खातेदारी में दर्ज है, जो भू राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों/नियमनो को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

अतः उक्त आवंटन/नियमन राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.10.23 09:58:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2— प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए तथा जवाब इस आशय का पेश किया गया कि अप्रार्थीया के पति माधो वल्द चतरा जाति मीना निवासी महुआ ने विवादित आराजी को नीलामी में 52 वर्ष पूर्व खरीद किया था जिस पर आज तक बदस्तूर कब्जा हमारा चला आ रहा है तथा इसी आधार पर खाते दर्ज की गई है। इस आराजी के अलावा हमारे पास अन्य कोई आराजी जीविकोपार्जन हेतु नहीं है। अतः प्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप फरमावें।

3— उक्त जवाब पेश होने पर हमने प्रकरण में बहस उभयपक्ष पेरोकार सरकार एवं विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण की सुनी। दौराने बहस पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त विवादित आराजी के सेटलमेंट अवधि सम्वत् 2014—23 में खसरा नंबर 709 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 710 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा तथा खसरा नंबर 711 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन तलाई के नवीन ख0नं0 811/1047 रकबा 1.05 है., किस्म माल II कायम कर अवैधानिक रूप से पुष्पा पत्नि माधो जाति मीणा निवासी महुआ के गैर खातेदारी में दर्ज कर दी है, जो मुताबिक जमाबन्दी संवत 2067—70 अप्रार्थीया के गैर खातेदारी में दर्ज है, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को गै.मु.तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा—82 भू राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

4— दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी मौके की स्थिति की जानकारी लेकर ही भूमि नीलामी योग्य पाये जाने पर ही नियमानुसार नीलाम की गई थी। मौके पर कोई तलाई मौजूद नहीं थी और ना वर्तमान में मौके पर कोई तलाई है। वर्तमान मे अप्रार्थीगण विवादित आराजी पर काबिज काश्त हैं तथा उक्त आराजी अप्रार्थीगण की आजीविका का एकमात्र साधन है। मौके पर भूमि समतल तथा कृषि योग्य है तथा वहां पर तलाई का कोई नामोनिशान मौजूद नहीं है। अतः उक्त रेफरेन्स खारिज फरमाया जावे।

5— हमने पेरोकार सरकार व अप्रार्थी अभिभाषक की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि सेटलमेंट पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2014—23 ग्राम महुआ में विवादित आराजी खसरा नंबर खसरा नंबर 709 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 710 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा तथा खसरा नंबर 711 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन तलाई खाता सरकार दर्ज है। जिसका पुष्पा पत्नि माधो जाति मीणा निवासी महुआ को आवंटन/नियमन किया गया है। उक्त आराजी ... सेटलमेंट संवत 2044—63 नये खसरा नम्बर 811/1047 रकबा 1.05 है., किस्म माल II ... जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार पुष्पा पत्नि माधो जाति मीणा निवासी महुआ को जिस वक्त भूमि आवंटन/नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.10.23 09:58:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। पुष्पा पत्नि माधो जाति मीणा निवासी महुआ को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है।

6— माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन/नियमन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन/नियमन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

7— परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, मांगरोल का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण के वर्तमान में वाके ग्राम महुआ में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 811/1047 रकबा 1.05 है., किस्म माल ।। जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा 709 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 710 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा तथा खसरा नंबर 711 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई से बना है जिसका पुष्पा पत्नि माधो जाति मीणा निवासी महुआ को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा—82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

8— तहसीलदार, मांगरोल को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटन/नियमन की गई आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

आदेश आज दिनांक 23.09.2024 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज.)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलेक्टर, बारां

जिला कलेक्टर
बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.10.23 09:58:49 IST
Reason: SelfAttested